वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 212/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-13.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 13.06.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना-बरदहः साइबर फ्राड के 99500/- रुपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि आवेदक विनय कुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह निवासी सराय बगदौरा थाना नगरा जनपद बलिया हाल पता ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़। दिनांक 10.03.2025 को डाक्टर से एप्वाइन्टमेंट लेने हेतु काल किये जिससे आवेदक के साथ 99500/- रुपया का फ्राड हो गया। उक्त के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना बरदह पर सूचना दिया गया। क0आ0 विद्यासागर वर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत सं0 2310325003XXX दर्ज कराया गया। जिससे फ्राड हुआ कुल 99500/- रुपया होल्ड हो गया।

रुपया वापसी का विवरणः-

आवेदक श्री विनय कुमार सिंह पुत्र रामलाल सिंह निवासी सराय बगदौरा थाना नगरा जनपद बलिया हाल पता ग्राम गोड़हरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के साइबर फ्राड में होल्ड हुए कुल 99500/- रुपया के सम्बन्ध में पैसा रिलिज कराने हेतु आवेदक द्वारा कोर्ट से आर्डर बनवाकर क0आ0 विद्यासागर वर्मा द्वारा सम्बन्धित बैंक से वार्ता कर थानाध्यक्ष बरदह के निर्देश पर साइबर क्राइम टीम थाना बरदह उ0नि0 मनीष कुमार सिंह व क0आ0 विद्यासागर वर्मा द्वारा उपरोक्त फ्राड का पैसा 99500/- रुपया नियमानुसार आवेदक के खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 मनीष कुमार सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2.क0आ0 विद्यासागर वर्मा थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 नीरज यादव थाना बरदह, आजमगढ़
4. म0आ0 अर्चना यादव थाना बरदह, आजमगढ़

02.थाना कप्तानगंजः साइबर फ्राड के 30,000 रूपया आवेदक के खात में वापस कराया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.25 को आवेदक शुभम त्रिपाठी पुत्र अश्वनी कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ को पार्ट टाइम जाब करने हेतु टेलीग्राम पर मैसेज देखा तथा अपना डिटेल भेज दिया था जिसके बाद अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा काल कर आवेदक से कई बार में 45000 रूपये अलग अलग खातो में ट्रानस्फर करा लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कप्तानगंज पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 23103250XXXXX है साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगज द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 30000 रू0 होल्ड करा दिया गया था। आवेदक का फ्राड हुआ पुरा 45000 रूपये में से 30000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरणः-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना कप्तानगंज के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव व महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्तव द्वारा आवेदक शुभम त्रिपाठी पुत्र अश्वनी कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम चेवता थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते से स्थानान्तरित हुए रूपयो की जाँच करते हुए 30000 रूपये विभिन्न बैंक खातो में होल्ड कराया गया तथा मा0 न्यायाल के आदेश से वापस आवेदक के बैंक खाते में वापस करा दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।

ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अन्जान नम्बरो से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1- थानाध्यक्ष विवेक कुमार पाण्डेय थाना कप्तानगंज

2- उ0नि0 अमन तिवारी (साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना कप्तानगंज

3- क0आ0 ग्रेड बी अर्खित श्रीवास्तव (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज

4- महिला आरक्षी अंशिका श्रीवास्वत (साइबर हेल्प डेस्क) थाना कप्तानंगज

03.थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री विवेक सिंह मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर टेकनपुर पुलिया से दिनांक 13.06.2025 को सुबह समय करीब 04.08 बजे अभियुक्त निखिल मिश्रा पुत्र भोपाल मिश्रा निवासी बेलकुण्डा थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 234/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 234/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 223/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 553/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 389/24 धारा 03/25 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 118/19 धारा 380/511 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 293/23 धारा 3/25 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

1- निखिल मिश्रा पुत्र भोपाल मिश्रा उर्फ रविन्द्र मिश्रा उर्फ गोपाल मिश्रा निवासी बेलकुण्डा थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष

बरामदगी-

1- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. का0 दिनेश कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. का0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
5. का0 दिलीप कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

04.थाना- मेंहनगरः गैर इरादत्तन हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.06.2025 को वादी प्रार्थी सोनू कुमार पुत्र पतिराम ग्राम कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर जनपद आजमगढ की तहरीरी सूचना कि दिनांक 12-6-25 समय करीब लगभग शाम 7.30 को भैस को मारने पिटने के विवाद को विपक्षी मोतीलाल पुत्र हरगुन, सुमित पुत्र मोतीलाल, प्रदीप पुत्र मोतीलाल, मनीष पुत्र मोतीलाल, इन्द्रावती पत्नि मोतीलाल, वन्दना पुत्री मोतीलाल निवासीगण कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर आजमगढ ये लोग मुझे तथा भतीजी अमिशा पुत्री हरिशंकर व भाभी ममता पत्नी हरिशंकर व मेरी माँ धर्मा देवी व बहन मीनू को मारने पिटने लगे हम लोग दवाई इलाज हेतु अपनी माता धर्मा देवी को PGI अस्पताल चक्रपानपुर आजमगढ ले गये जहा पर दवा इलाज चला दौराने इलाज डाक्टरो द्वारा समय करीब 9.05 PM लगभग मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया गया ये लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 300/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352/351(3) BNS बनाम मोतीलाल पुत्र हरगुन, सुमित पुत्र मोतीलाल, प्रदीप पुत्र मोतीलाल, मनीष पुत्र मोतीलाल, इन्द्रावती पत्नि मोतीलाल, वन्दना पुत्री मोतीलाल निवासीगण कटाँत चक कटाँत थाना मेहनगर आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 13.06.2025 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार, का0 सोनू यादव, का0 अनिल चौधरी के द्वारा मु0अ0सं0 300/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352/351(3) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मोतीलाल पुत्र हरगुन, 2.प्रदीप पुत्र मोतीलाल, 3.मनीष पुत्र मोतीलाल निवासीगण ग्राम कटात चक कटात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को समय 10.20 बजे अक्षैबर पुलिया से पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मोतीलाल पुत्र हरगुन,
2.प्रदीप पुत्र मोतीलाल,
3.मनीष पुत्र मोतीलाल निवासीगण ग्राम कटात चक कटात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 300/2025 धारा 3(5)/105/115(2)/352/351(3) BNS थाना मेंहनगर, आजमजगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार, का0 सोनू यादव, का0 अनिल चौधरी

05. थाना- मुबारकपुर: ग्राम बम्हौर में लावा परछन के समय वीडियो बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 07 अभियुक्त पकड़ें गये।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2025 को ग्राम बम्हौर मे संदीप कन्नौजिया पुत्र महेन्द्र कन्नौजिया ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र बरछू कन्नौजिया के विवाह समारोह मे लावा परछन के लिये गाँव व परिवार की महिलाएं गाँव के पोखरे पर जा रही थी कि तभी दुसरे समुदाय के लड़के अबुजैद S/0 भुल्लन, रहमान,वकाश, वसीम,आलिम पुत्रगण शमीम, जुबैद S/0 इफ्तेखार, वकार S/0 महमूद,एहतेशाम S/0 शब्बीर, अरबाज S/0 कमालू, अरमान S/0 कमालू, अरमान S/0 जावेद, S/0 भुल्लन S/0 आले हसन, सैफु S/0 अज्ञात नदीम S/0 शमीम अरमान S/0 अज्ञात, और उनके साथ के अन्य लडके परछन में शामिल महिलाओं और लडकियों का वीडियो बनाने लगे और लडकियों के साथ छेडखानी करते हुए कमेन्ट करने लगे मना करने पर मारना पीटने एवं जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3), 109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रचलित है।

पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 07 अभियुक्त 1.अरमान पुत्र जावेद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, 2-अरमान पुत्र जावेद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बम्हौर, थाना– मुबारकपुर, जनपद – आजमगढ़, 3. वसीम पुत्र शमीम उम्र करीब 26 वर्ष 4. मो0 मोअज्जम पुत्र अब्दुल कयूम ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 05. रहमान पुत्र शमीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ व 6. 01 किशोर अपचारी (पुलिस अभिरक्षा) 7. रहमान पुत्र शमीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बम्हौर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 13.06.2025 को उ0नि0 गिरीश कुमार मय हमराह पुलिस बल के बम्हौर मे घटित घटना के सम्बन्ध मे अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बम्हौर अभियुक्त एहतेशाम पुत्र शब्बीर सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 27 वर्ष के घर पर दबिश देकर अभियुक्त के घर के सामने से समय करीब 08.10 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अन्य अभियुक्तगणों की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- एहतेशाम पुत्र शब्बीर सा0 बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109,110,125,61(2)74,61(2) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 गिरीश कुमार, का0 संदीप शर्मा, का0 जितेन्द्र चौधरी मुबारकपुर जनपद आजमगढ

06.थाना निजामाबाद: दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 08.06.25 को वादी मुकदमा सीताराम गुप्ता पुत्र स्व0 बैजनाथ निवासी कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा उसकी पुत्री प्रिया गुप्ता को पति राहुल गुप्ता ,सास स्वाती गुप्ता,जेठ रोहित गुप्ता व सोनू गुप्ता जेठान सोनू गुप्ता की पत्नी तथा ननद सुशीला गुप्ता दहेज मे 5 लाख रु0 और नगद की मांग लेकर प्रताड़ित करना जिससे दिनांक 07.06.25 को समय लगभग 7.00 बजे वादी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/25 धारा 85, 80(2), 351(3)बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. पति राहुल गुप्ता पुत्र स्व0 शेरई गुप्ता 2. सास स्वाति गुप्ता पत्नी स्व शेरई गुप्ता 3. जेठ रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 शेरई गुप्ता 4. सोनु गुप्ता पुत्र अज्ञात 5. जेठानी सोनु गुप्ता की पत्नी नाम अज्ञात 6.ननद सुशीला गुप्ता पुत्री स्व0 शेरई गुप्ता निवासी गण परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय सदर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 13.06.25 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का0धर्मवीर प्रजापति ,का0 मुरारी जायसवाल, म0का0 मौसमी तिवारी के मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सेण्टरवा मोड़ से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राहुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 शेरई गुप्ता निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद , आजमगढ उम्र 31 वर्ष तथा महिला ने अपना नाम सेवाती देबी पत्नी स्व0 शेरई निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ उम्र 65 वर्ष को समय करीब 9.20 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय /जेल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.राहुल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 शेरई गुप्ता निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद , आजमगढ उम्र 31 वर्ष

2.सेवाती देबी पत्नी स्व0 शेरई निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ उम्र 65 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 206/25 धारा-85,80(2),351(3)बीएनएस व 3/4डीपीएक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1.हीरेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2.का0 धर्मवीर प्रजापति थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3.का0 मुरारी जायसवाल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

4.म0आ0 मौसमी तिवारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

07.थाना बिलरियागंजः छेड़खानी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.06.25 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ने उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 03-06-2025 को वादी के घर के आटो का चालक शाह आलम उर्फ मुन्ना पुत्र अजीमुल्ला द्वारा मेरे घर के मोबाइल नम्बर पर फोन किया कि तुम आटो चलाने का पैसा नया चौक बिलरियागंज आकर ले लो शाम को करीब 5 बजे जब मै नया चौक पर गयी तो मेरा आटो का चालक शाह आलम उर्फ मुन्ना और उसका एक साथी मदन पुत्र स्व0 मूलचन्द भी साथ मे था दोनो आटो मे ही पहले मदिरा पी रखे थे उसके बाद मुझे आटो मे बिठाकर गोरियाँ बाजार होते हुए बिन्दवल की तरफ ले जाने लगे , मेरे चिल्लाने पर मुझे धमकी देते हुए मेरे साथ छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 178/25 धारा 140(3)/351(3) 70(1) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 13.06.2025 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा से सम्बन्धित वांछित अभिुक्त (1) शाह आलम उर्फ मुन्ना (2) मदन पुत्र स्व0 मूलचन्द को मदनापार मोड़ से समय करीब 06.45 बजे दिनांक 13.06.25 को मदनापार मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 178/25 धारा 140(3)/351(3) 70(1) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शाह आलम उर्फ मुन्ना पुत्र अजीमुल्ला नि0 हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज आजमगढ

(2) मदन पुत्र स्व0 मूलचन्द नि0 अम्बेडकर नगर कस्बा बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- शुभम तोदी क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़
2- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
3- उ0नि0 लवकुश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
4- हे0का0 रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
5- हे0का0 राजेश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
6- का0 विवेक यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
7- का0 सत्येन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
8- का0 विरेन्द्र कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

08.थाना सिधारीः चोरी के गैस सिलिण्डर व एक साइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡दिनांक 19.02.2025 को श्री दिलराम यादव पुत्र स्व0 झूरी यादव सा0 पल्हनी थाना सिधारी, आजमगढ़ हाल पता आरूष फास्टफूड दुकान हुसैनगंज तिराहा थाना सिधारी, आजमगढ़ मो0नं0 9695268065 उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दिया गया कि हुसैनगंज बाजार में सलारपुर रोड पर स्थित वादी की फास्ट फूड की दुकान में पीछे लगा लोहे का गेट का ताला तोड़ कर अज्ञात चोर द्वारा एक अदद गैस सिलेण्डर इण्डेन व एक अदद साईकिल एडो साकर कम्पनी का चुरा लिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 071/2025 धारा 305 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ कर विवरणः-

➡ गिरफ्तार अभियुक्त महेन्दर यादव पुत्र कुलिन्दर यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष पूछने पर बताया कि साहब मैं करीब 4 महीने पहले हुसैनगंज के एक फास्टफूट के दुकान से रात में एक रेंजर साइकिल और एक गैस सिलेण्डर चोरी किया था। मैं इसे छिपाकर रख दिया था उसके बाद मै बाहर चला गया था। लौटकर आया तो उस रेंजर साइकिल और सिलेण्डर जिसे मैं छिपाकर रखा था को बेचने के लिए आज जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 13.06.2025 को शशिचन्द चौधरी प्र0नि0 सिधारी मय हमराह उ0नि0 राजबिहारी सिंह, हे0कां0 अरविन्द यादव, कां0 नन्दलाल कुमार द्वारा मुखबिर के सूचना पर अभियुक्त महेन्दर यादव पुत्र कुलिन्दर यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को जमालपुर से समय 04.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का व 01 अदद रेंजर साइकिल बरामद हुआ।

➡गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान महेन्दर यादव पुत्र कुलिन्दर यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष के रुप में हुई अभियुक्त को समय लगभग 04.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का व 01 अदद रेंजर साइकिल बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

महेन्दर यादव पुत्र कुलिन्दर यादव ग्राम पकड़ी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0- 0411/2023 धारा 323/336/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 071/2025 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगीः-

1. 01 अदद गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी,
2. 01 अदद रेंजर साइकिल,

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.शशिचन्द चौधरी प्र.नि. थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2.उ0नि0 राजबिहारी सिंह रथाना सिधारी आजमगढ़

09.थाना दीदारगंजः दुष्कर्म के अभियोग में 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व का विवरण-

दि0 12.06.2025 को वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर वादी की पोती के साथ 03 बाल अपचारियों द्वारा दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 152/25 धारा 70(2),351(3) बीएनएस व 5एम/6 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया। बाल अपचारीगण उपरोक्त मुकदमे मे वांछित चल रहे थे।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

आज दिनांक 13.06.2025 प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 रुपेश कुमार सिह का0 उपेन्द्र कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 बाल अपचारी को ग्राम सुरहन से समय करीब 7.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

10. **थाना- बरदहः मारपीट की सूचना पर गये पुलिस बल को घेरकर जानलेवा हमला कर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने व सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 19 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।**

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 07.06.25 को व0उ0नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 06.06.2025 को PRV 1043 पर समय करीब 23.15 बजे प्राप्त इवेन्ट सं0 29435 कालर राममिलन पुत्र रजई ग्राम बर्रा थाना बरदह , जनपद आजमगढ के सम्बन्ध में PRV द्वारा मौके पर ग्राम बर्रा पहुँचकर विवाद निस्तारण का प्रयास किया जा रहा था कि बर्रा ग्राम निवासी 1. शिवा राजभर पुत्र तीरथ 2. शुभम पुत्र शम्भू 3. विकाश पुत्र रामपलट 4. सूरज पुत्र मनकू 5. शिवमूरत पुत्र मनकू 6. संगम पुत्री मनकू 7.फूलमति पत्नी मनकू मिलकर करके पीआरवी की गाडी का मार्ग अवरुद्ध करते हुए, ईट पत्थर चला कर पीआरवी की गाडी को क्षतिग्रस्त कर दिये, पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष बरदह राजीव कुमार सिंह हमराह का0 वाल्मिकी निषाद , का0 अनिल सरोज , का0 राजेन्द्र कुशवाहा , का0आशुतोष वर्मा मय सरकारी वाहन के व व0उ0नि0 सुरेश चन्द मिश्रा, उ0नि0 संजय कुमार, का0 ललित सरोज , हे0का0 विह्गल यादव अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे कि उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा गांव के फूल चन्द पुत्र मुनेश्वर , सर्वेश पुत्र सुदर्शन , लकी पुत्र चन्द्रेश , गौतम पुत्र सीताराम , आकाश पुत्र सुदर्शन , रिंकू पुत्र जयराम , विपिन पुत्र वृजेश राजभर , चन्द्रेश पुत्र किशुन राजभर , रीतिक पुत्र वृजेश राजभर , राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर , विशाल पुत्र राम अवतार , मनोज पुत्र राम अवतार , शर्मिला पत्नी शिवमूरत , सीमा पत्नी मनोज , रीमा पत्नी शम्भू , कौशल्या पत्नी गोबरी , बुद्धू पुत्र श्री राजभर व अन्य 25-30 लोग एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस की गाडी पर ईट-पत्थर व लाठी डण्डे से हमला कर दिये जिससे गाडी क्षतिग्रस्त तथा थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के सिर व शरीर के अन्य भागों पर गम्भीर चोटे आयी है। जिनको उपचार हेतु हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। उ0नि0 संजय कुमार, हे0का0 विहंगल यादव , का0 ललित सरोज , का0 अनिल सरोज , का0 वाल्मिकी को भी गम्भीर चोटे आयी है। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2),191(3),3(5),115(2),109,131,121(1),121(2),324(4) 126(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 3(2)(ड) सा0सं0छति निवारण अधि0 बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 07.06.25 को उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. फूल चन्द पुत्र मुनेश्वर 2. सर्वेश पुत्र सुदर्शन 3. लकी पुत्र चन्द्रेश समस्त निवासीगण ग्राम बर्रा थाना बरदह , जनपद आजमगढ 4.गौतम पुत्र सीताराम ग्राम महुआरा थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ 5.आकाश पुत्र सुदर्शन 6.सिंकू पुत्र जयराम 7.विपिन पुत्र वृजेश राजभर 8.चन्द्रेश पुत्र किशुन राजभर 9.रीतिक पुत्र वृजेश राजभर 10.राकेश पुत्र सुदर्शन राजभर 11.विशाल पुत्र राम अवतार 12. मनोज पुत्र राम अवतार 13.शर्मिला पत्नी शिवमूरत 14. शिवमूरत पुत्र मनकू 15.संगम पुत्री मनकू 16. मनकू पुत्र सहबू 17. ऋषभ पुत्र अरविन्द समस्त निवासीगण ग्राम बर्रा थाना बरदह , जनपद आजमगढ को बर्रा चौराहे से 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 13.06.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बुद्धू उर्फ शैलेन्दर पुत्र श्री राजभर 2. नीरज पुत्र चन्द्रभान निवासीगण ग्राम बर्रा थाना बरदह, आजमगढ़ को बंधवा तिराहे से समय करीब 09.00 बजे बजाफ्ता बकायदा हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त शैलेन्दर उर्फ बुद्धू के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त नहर के किनारे लगे सरपट की आड़ मे से एक डण्डा निकाल कर दिया जिसे कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बुद्धू उर्फ शैलेन्दर पुत्र श्री राजभर ग्राम बर्रा थाना बरदह, आजमगढ़
2. नीरज पुत्र चन्द्रभान ग्राम बर्रा थाना बरदह, आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद डण्डा (अभियुक्त शैलेन्दर उर्फ बुद्धू के निशानदेही पर)

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 161/25 धारा 191(2),191(3),3(5),115(2),109,131,121(1),121(2), 324(4),126(2),117(2) बीएनएस

बीएनएस व 7 सीएल एक्ट व 3(2)(ड) सा0सं0छति निवारण अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमेश यादव थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 विहगंल यादव थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 सन्दीप कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

11. थाना मुबारकपुरः अपहरण के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 12.06.2025 को पीड़िता की माँ द्वारा लिखित सूचना प्रदान की गयी कि पीड़िता को नवीन राजभर पुत्र ओमप्रकाश राजभर निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व अंशुल पुत्र संतोष कुमार निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर गुजरपार शिवमंदिर के पास बुलाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 247/2025 धारा 137(2)/37 बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 नौशाद अहमद द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 13.06.2025 को उ0नि0 नौशाद अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.नवीन राजभर पुत्र ओमप्रकाश राजभर निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ, 2.अंशुल पुत्र संतोष कुमार निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गुजरपार शिव मंदिर मठ के पास से समय करीब 06.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-नवीन राजभर पुत्र ओमप्रकाश राजभर निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व अंशुल पुत्र संतोष कुमार निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 247/2025 धारा 137(2)/37 बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 नौशाद अहमद मय हमराह का0 अनिरुद्ध यादव व म0का0 आकृति राव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

12. थाना मुबारकपुरः नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये लेने वाला जालसाज /वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 12.06.2025 को राधेश्याम प्रजापति पुत्र रमा शंकर प्रजापति मुहल्ला अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना प्रदान की गयी कि अंकित प्रजापति पुत्र स्व0 रघुवंश निवासी धरमपुर असरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुहल्ला बड़ा पोखरा थाना कोतवाली जनपद मऊ द्वारा आवेदक को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखादेकर देकर आवेदक से दिनांक 11/12/2023 व अन्य तिथियो में 7,50,000 रूपये बैंक खाते में तथा 5,50,000 रूपये कैश कुल 13 लाख रूपये लेकर धोखा देना व कूटरचित फर्जी नियुक्ती पत्र भेजना तथा पैसा वापस मांगने पर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 246/25 धारा 419,420,467,468,406,504,506 भा0द0वि0 बनाम अंकित प्रजापति पुत्र स्व0 रघुवंश निवासी धरमपुर असरपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुहल्ला बड़ा पोखरा थाना कोतवाली जनपद मऊ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 12.06.2025 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के वांछित अभियुक्त की तलाश मे मामुर थे कि वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकित प्रजापत पुत्र स्व0 रघुवंश निवासी धर्मपुर (असलपुर) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुहल्ला बड़ा पोखरा (सलहाबाद मोड) थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र 27 वर्ष इस समय कौड़िया मोड़ से समय करीब 19.05 बजे दिनांक 12.06.2025 को हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-अंकित प्रजापति पुत्र स्व0 रघुवंश निवासी धर्मपुर (असलपुर) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता मुहल्ला बड़ा पोखरा (सलहाबाद मोड) थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 246/25 धारा 419,420,467,468,406,504,506 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह का0 उमेश प्रजापति थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.06.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बरदह: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 18.08.2022 को वादी मुकदमा श्रीमती ईसरावती देवी पत्नी स्व0 बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 17.08.2022 को वादिनी के पति बालकिशुन को उसके पुत्र बबलू पुत्र बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे व ईट से मारकर पोखरे मे फेक दिया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 285/2022 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू पुत्र स्व0 बालकिशुन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट, जनपद आजमगढ़

थाना- ए0एच0टी0

आजमगढ़ पुलिस ने 02 वर्षों से गुमशुदा 16 वर्षीय किशोरी को जनपद आगरा से बरामद कर परिजनों से मिलाया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर अपहृता/गुमशुदा लोगों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में आज दिनांक 13.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा सन् 2023 में जनपद आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी को जनपद आगरा से बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया हैं।

घटना क्रम-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.09.2023 को वादी मुकदमा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनगर पर शिकायत किया गया कि वादी की पोती उम्र करीब 14 वर्ष दिनांक 02.09.2023 को घर पर बिना किसी से बताए कहीं चली गयी है. जिसके आधार पर थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 384/23 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना मेहनगर से सम्पादित की जा रही थी परन्तु पीडिता/अपहृता उपरोक्त की बरामदगी न हो सकी। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़ को दिनांक 23.03.2025 को सुपुर्द की गयी।

बरामदगी का विवरण-

आज दिनांक 13.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा थाना ए0एच0टी0 के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह का0 आशीष प्रताप सिंह व म0आ0 सुप्रिया पाल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को थाना क्षेत्र ट्रांस यमुना जनपद आगरा से बरामद किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के समय पीड़िता/अपहृता की उम्र 14 वर्ष थी, जो वर्तमान में नाबालिग है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 384/23 धारा 363 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा, उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव, का0 आशीष प्रताप सिंह, म0आ0 सुप्रिया पाल थाना ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़, हे0का0 उमेश यादव सर्विलांस सेल आजमगढ़।